

**संक्षिप्त**

**नौ मोटरसाईकिलों को किया जब्त**

कोटपुतली। कस्बे में तेज आवाज साईलेंसर वाली बुलेट बाईकों से लम्बे समय से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न किया जा रहा था। इसकी शिकायत पर पुलिस ने अभियान चलाते हुये अलग-अलग टीमों का गठन कर तेज आवाज करने वाली 06 बुलेट व 03 अन्य मोटरसाईकिलों को मोटर वाहन अधिनियम में जप्त किया गया। पुलिस ने उक्त बाईकों से मोडीफाईड व तेज आवाज करने वाले साईलेंसरों को हटाकर सम्बंधित कम्पनी के अधिकृत साईलेंसर लगावाये गये एवं बाईक मालिकों को दुबारा ऐसा ना करने की चेतावनी भी दी गई। पुलिस ने बताया कि भविष्य में ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी।

**छात्र-छात्राओं ने किया सूर्यनमस्कार**

निवाड़ी। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय झिलाय में सूर्य सप्तमी को लेकर छात्र-छात्राओं व स्टाफ द्वारा सूर्य नमस्कार के सभी 12 चक्रों का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य अनुराधा वर्मा ने सूर्य सप्तमी की महत्ता बताई व अपनी दैनिक दिनचर्या में इसकी अभिमत करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य गोपालप्रसाद, उपप्राचार्य हरिचन्द्र बैरवा, व्याख्याता बनवारीलाल मिश्रा, नीलकमल वर्मा, विशाखा थानवी, देवराज सिंह, रश्मि जैन, कुसुम जैन, मनराज गुर्जर, कामान मोषाण व पवन वर्मा सहित सभी स्टाफ मौजूद थे।

**ग्रामीणों ने किया विरोध**

निवाड़ी। ग्राम पंचायत गुंसी के गांव अजोतपुरा में सरकारी के आदेशों पर खुले कुए को पंचायत प्रशासन द्वारा बंद करने का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीण प्रमुदयाल, कालुराम, रामचरण, सहित कई ग्रामवासियों ने बताया कि यह सार्वजनिक कुआं है और ग्रामीण उक्त कुए के पानी को उपयोग करते हैं। ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा बिना ग्रामीणों की सहमति के खुले कुए को मिट्टी डालकर बंद किया जा रहा था। जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया और पंचायत प्रशासन का विरोध करने के कुए को बंद नहीं करने दिया। जिससे प्रशासन को मोक़े से वापस आना पड़ा। इस दौरान बाबूलाल, बलराम, संतराम, चंरिंजोला, बनवारीलाल, भातुलाराम, रामराय, भंवरलाल, विमलकुमार, सुरेश, प्रेमराज, भगवान सहाय, लालचन्द सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।

**शिविर का आयोजन**

दूढ़। निकटवर्ती ग्राम पंचायत सुनाडिया ग्राम पंचायत सभागार में किसान रजिस्ट्री शिविर का आयोजन किया जाकर 181 काशतकारों का पंजीकरण किया गया अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल परिहार ने बताया कि इस दौरान एक परिवार को आबादी का पट्टा भी जारी किया गया पशुपालन एवं चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा 300 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया इस दौरान उपखंड अधिकारी योगेश सिंह देवल तहसीलदार मदनलाल परिहार पंचायत राज विभाग के अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी सुधुवर देवाल सहित ग्राम पंचायत के वार्ड पंच एवं ग्रामीण जन मौजूद रहे।

**फ्लोरोसिस रोकथाम के तहत बच्चों की गई जांच**

टोंका। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम के अंतर्गत देवली ब्लॉक के गैरोली, नोन्दपुरा, देवड़ावास, जलसौना, जलेरी ग्राम के ग्रामीणों व स्कूली बच्चों के दन्त व अस्थि फ्लोरोसिस की जांच की गई। सीएमएचओ डॉ सलेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि फ्लोरोसिस के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए प्रयास जारी हैं। नियमित रूप से टोंक जिले में फ्लोरोसिस का सर्वे करवाया जा रहा है। जांच में फ्लोरोसिस बीमारी से पीड़ित पाये गये मरीजों के यूरिन सैम्पल लेकर उनकी जांच की गई।

**नम्बर मिलाड़ू**  
**9587884433**  
**सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक कराये।**

**गांवों में जल के साथ जंगल और जमीन बचाने का संदेश देगी यात्रा : कलेक्टर**

खैरथल। खैरथल तिजारा जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (वाटरशेड विकास घटक) के तहत जलग्रहण यात्रा का शुभारंभ जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा वर्षा जल संग्रहण, मिट्टी बचाव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर इस यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 2000 ग्रामीणों, विद्यार्थियों, एनएसएस और स्काउट सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान जल योद्धा बनने और गांव को जल संकट से मुक्त करने की शपथ, जल संरक्षण और भूमि सुधार में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 15 कार्यकर्ताओं और भामाशाही का सम्मान, स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी और इब्तिदा संस्था के कृषि तकनीक मॉडल का अवलोकन, राष्ट्रीय स्तर के शुभारंभ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया।



खैरथल में यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते जिला कलेक्टर किशोर कुमार।

जीर्णोद्धार कार्य का भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही बड़े जोड़द जीर्णोद्धार कार्य का वजुअल लोकार्पण किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जल एवं भूमि संरक्षण पर विनबंध और स्टोलन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ग्रामवासियों ने चारागाह भूमि में पौधारोपण और जोड़द में

श्रमदान कर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। खैरथल-तिजारा जिले की पंचायत समिति तिजारा व मुण्डावर के 34 गांवों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संचालित है। योजना के तहत वर्षा जल संग्रहण के लिए एनीकट, अमृत सरोवर, जोड़द, फार्म पोंड और मिट्टी के बांध बनाए जा रहे हैं। भूमि कटाव रोकने और

चारागाह विकास के लिए पौधारोपण किया जा रहा है। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, संयुक्त निदेशक जलग्रहण विकास विभाग जयपुर सुशीला यादव, अधीक्षण अभियंता नरेंद्र सिंह मीथू, अधिशासी अभियंता क्षत्रपाल सहित कई जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य

**'आमजन को सुगम स्वास्थ्य सेवाओं में कोताही बर्दाश्त नहीं'**

मालपुरा, (निस)। आमजन को सुगम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार व चिकित्सा विभाग द्वारा मालपुरा शहर में धानोता रोड पर संचालित की जा रही जनता क्लिनिक का बुधवार को खण्ड एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव चौधरी ने औचक निरीक्षण कर जांची व्यवस्थाएं निरीक्षण के दौरान जनता क्लिनिक प्रभारी डॉ. लोकेश जैन सहित सभी सात स्टाफकर्मों उपस्थित पाये गये। बीसीएमओ ने जनता क्लिनिक की ओपीडी, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण व जांच योजना, ड्रेसिंग टेबल, निःशुल्क पर्ची वितरण काउंटर, दवा स्टॉक रजिस्टर सहित अन्य चिकित्सा व्यवस्थाओं को एक-एक कर जांच पढताल करते हुये रिपोर्ट तैयार की। बीते दिन 3 फरवरी को डॉ. लोकेश व अन्य स्टाफकर्मियों को ड्यूटी टाईम पर अनुपस्थित रहने की मिली शिकायत पर बीसीएमओ ने डॉ. जैन व अन्य स्टाफकर्मियों से लिखित में स्पष्टीकरण लेते हुये कहा कि भविष्य में



खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव चौधरी ने जनता क्लिनिक धानोता रोड का औचक निरीक्षण किया।

बिना उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के अवकाश पर नहीं जावें। आमजन को सुगम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही बीसीएमओ ने जनता क्लिनिक प्रभारी को कड़ी हिदायत देते हुये कहा कि ड्यूटी टाईम के दौरान नामाज पढ़ने अथवा अन्य धार्मिक आयोजनों में शामिल होने के लिये क्लिनिक छोड़ने की अनुमति नहीं है। साथ ही बीसीएमओ ने बताया कि आज

**जिला कलेक्टर ने बैठक ली**

अलवर । जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिक शुक्ला की अध्यक्षता जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित हुई जिसमें उन्होंने जिले में वायु गुणवत्ता में सुधार, कचरे के समुचित निस्तारण आदि की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। जिला कलेक्टर ने वन विभाग सहित संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये कि समन्वित प्रयास कर जिले में पर्यावरण संरक्षण को दिशा में कार्य करें जिसके धरातल पर बदलाव धी नजर आए। उन्होंने डीएफओ अलवर को निर्देश दिये कि सिलीसेड ड्रील को वैटरेलैंड (रामसर) के रूप में अधिसूचित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने निर्देश दिये कि सरिरका टाइगर रिजर्व को प्लास्टिक फ्री टाइगर रिजर्व बनाने हेतु कार्य योजना बनाए। उन्होंने निर्देश दिये कि सरिरका अभयारण्य में आरएसआरटीसी के माध्यम से ये नैतिकल यथाशीघ्र शुरू करावे। उन्होंने यूआईटी सचिव को सिलीसेड ड्रील व अन्य उपयुक्त स्थानों को चिन्हित कर एडवंचर ट्यूरिज्म को प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये।

**महामंडलेश्वर बनारसी दास जी महाराज का स्वागत किया**

शाहपुरा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में त्रिवेणी धाम के खोजीद्वाराचार्य रामरिछपाल देवाचार्य महाराज व खाकी निर्वाणी अनी अखाड़े के महंत मोहन दास महाराज के सान्धि में त्रिवेणी धाम स्थित अवधपुरी धाम के संत बनारसी दास महाराज व उनके गुरु भाई कालिदास जी महाराज को संत समूह ने महामंडलेश्वर की उपाधि से अलंकृत कर पदाभिषेक करने के बाद बुधवार को पहली बार अवधपुरी त्रिवेणी धाम आए। महाराज श्री के स्वागत में क्षेत्र के लोगों पलक पोंडे विछाएँ लोगों ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। महाराज श्री ने सर्वप्रथम गणेश जी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद महाराज श्री को गाड़ी में बिठाकर बैंड बाजे व डीजे की धून पर आतिशबाजी के साथ अवधपुरी धाम लाया गया। महाराज श्री



महाराज श्री के स्वागत में लोगों ने खुशी जाहिर की।

का जगह-जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर बंशोदास जी महाराज, महंत प्रहलाद दास महाराज, अध्यक्ष नाथूलाल सैनी, जयराम धेधड़, कैलाश स्वामी, कारुण्य दांतला, रामफूल पोसवाल, सरपंच मदन सिंह शेखावत, सरपंच अनिल त्रिवेदी, पूर्व

**दहेज में एक रुपया लेकर समाज के लिए मिसाल पेश की**

फुलेरा। कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में करीब सभी समाजों में विवाह का दौर चल रहा है। सभी समाज के लोग विवाह समारोह में अपने अपने स्तर कुछ अच्छा और अलग करने की सोचता है। जिसमें मुख्य रूप से शादी विवाह के दौरान दहेज जैसी कुरीतियों को मिटाने के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसके लिए हर कोई शुरुआत अपने स्वयं से ही करना चाहता है। ऐसा ही दृश्य कस्बे के निकट स्थित ग्राम इलाकू निवासी हेमन्त पुत्र गोपाल लाल कुमावत के विवाह में देखने को मिला। प्रत्यक्षदर्शी राजेन्द्र कुमावत एवं नवतन कुमावत ने बताया कि हेमन्त का विवाह नवां निवासी पूनम पुत्री मनमोहन कुमावत के साथ सम्पन्न हुआ। इस दौरान शादी में दहेज की रस्म के रूप में मात्र एक रुपया और 1 नारियल लेकर बिना किसी दहेज के विवाह की रस्म पूरी की है। इसके

चलते समाज के लिए एक मिसाल पेश की है। हालांकि आस पास के क्षेत्र में ऐसे उदाहरण पहले भी देखने को मिल चुके हैं। परन्तु यह पहल इनकी तरफ से अपने स्तर पर ही शुरू की गई है। गौरतलब है कि हेमन्त कुमावत वर्तमान में पीडब्ल्यूडी विभाग में जेईएन के पद पर पदस्थानित है। विवाह समारोह के दौरान राज्यमंत्री विजयसिंह चौधरी एवं अन्य जनप्रतिनिधि सहित कुमावत समाज अध्यक्ष बाबूलाल कुमावत, सरपंच शान्ति देवी, सरपंच गोपाल लाल, राधेयाम मारोटिया, अशोक कुमार, भेरूराम, हुक्मीचन्द, जितेन्द्र, हनुमान राम, चन्द्रमोहन, नवीन, राजेन्द्र कुमार, जिला परिषद सदस्य रामदयाल कुमावत, नगर निगम सहायक अभियन्ता राजेन्द्र कुमावत, कनिष्ठ अभियन्ता निखिल, पीडब्ल्यूडी जेईएन कुलदीप सहित अन्य कई लोग उपस्थित रहे।

**258 किसानों का पंजीकरण**

नारायणपुर । तहसील के ग्राम पंचायत अजबपुरा और कोलाहेड़ा मुख्यालय पर किसानों के लिए एपी स्टैक योजना के तहत तीन दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। तहसीलदार अनिल कुमार को देखरेख में हुए इस शिविर में किसानों की फार्म रजिस्ट्री बनाई गई। तहसीलदार अनिल कुमार ने बताया कि किसान अपनी जमाबंदी, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ प्रातः 9.30 से सांय 5.30 बजे तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में सरकारी योजनाओं का

लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके पास फार्म रजिस्ट्री कार्ड होगा। शिविर के पहले दिन तकनीकी समस्या के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। क्षेत्र में दो स्थानों पर लगे शिविरों में पहले दिन कुल 258 किसानों का पंजीकरण किया गया। इस अवसर पर भू-अभिलेख निरीक्षक अशोक कुमार योगी, अनुराग शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी संजय सिंह, विनीत चौधरी, पटवारी अरविंद कुमार और नरेंद्र कुमार मीणा सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

**फार्मर रजिस्ट्री कैप हुआ शुभारंभ**

निवाड़ी। भारत सरकार के निर्देशानुसार आयोजित फार्मर रजिस्ट्री कैप का उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार हरसोलिया ने औचक निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत झिलाय में आयोजित फार्मर रजिस्ट्री कैप कैप में किसानों के फार्मर आईडी व अन्य कार्यों की सुचारू क्रियान्वित को लेकर उपखंड अधिकारी सुरेशकुमार हरसोलिया ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि शिविर में लाभार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। ग्रामीणों का समय पर कार्य हो। उन्होंने बताया कि शिविर में किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा रही है एवं अन्य कार्यों का सुचारू रूप से

क्रियान्वयन किया जा रहा है। शिविर में नोडल अधिकारी तहसीलदार नरेशकुमार सहित संबंधित पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक व अन्य पंचायत स्तरीय कार्मिक उपस्थित रहे।

**नाम संशोधन**  
मैं जीतू कुमार पुत्र श्री मोतीलाल जाति जाट व निवासी भीमनगर पांडे का कुआ करौली शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि चांदनी जाटव मेरी पत्नी हैं एवं विनय कुमार मेरा पुत्र हैं। दोनों नामों का पंजीकरण किया गया है। मेरे पुत्र व पत्नी के स्कूल रिकार्ड में गलती से मेरा नाम जितेन्द्र जाटव दर्ज हो गया। जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम जीतू कुमार दर्ज है। इसलिए स्कूल रिकार्ड में जितेन्द्र कुमार के स्थान पर जीतू कुमार दर्ज किया जावे।  
आज दिनांक 01 माह 02 सन 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**  
प्रमाण-पत्र जारी/संशोधन/2024/4025, दि.- 28.01.25

**रबोया पाया**  
हमारे मकान नम्बर-ए-204 त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास, जयपुर का मूल जे.डी.ए. प्लान मई साईंस प्लान व रजिस्ट्री आदि दस्तावेज में घर से ऑफिस लेकर आया था, जो रस्ती के साथ चले गये/गुम हो गये हैं उपरोक्त दस्तावेज मिलने पर सूचित करें।  
चिमल कुमार गोयल मो.नं. 9414045717

**प्रमाण संख्या 7 (देखिये नियम 21)**  
**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**  
राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सार्वजनिक सूचनाओं को मुद्रकमा नम्बर 04/2025 (नाम संशोधन तथा निवास स्थान)  
सूचित श्री राजकुमार रजिस्ट्री पत्र श्री कनकनया देवस्थान निवासी 303 अजी नगर, मुस्लीम विहार नगर, जयपुर 302025 को राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रत्यक्षदर्शी विभाग सहायक आयुक्त पदा 303 अजी नगर, मुस्लीम विहार, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन प्रप दिया है। अतः धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रस्तुत शर्तियों के प्रयोग में उपरोक्त प्रत्यास शर्तियों जांची जा रही है। यदि प्रस्तुत दस्तावेजों में त्रुटि पायी जायेगी तो उक्त आवेदन प्रप निरासित रीति से निरहित किया जाएगा। अतः धारा 29.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आठवां तारीख धेशी 04.04.2025

**प्रमाण संख्या 7 (देखिये नियम 21)**  
**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**  
राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सार्वजनिक सूचनाओं को मुद्रकमा नम्बर 350/2024 (नाम संशोधन तथा निवास स्थान)  
सूचित श्री राजकुमार रजिस्ट्री पत्र श्री गुरवाच चन्द राजौरिया, डी.3, मोहन मार्ग, रामनगर विहार, न्यू सानांन रोड जयपुर-302019 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र जारी/संशोधन/2024/4025, दि.- 28.01.25

**प्रमाण संख्या 7 (देखिये नियम 21)**  
**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**  
राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सार्वजनिक सूचनाओं को मुद्रकमा नम्बर 04/2025 (नाम संशोधन तथा निवास स्थान)  
सूचित श्री राजकुमार रजिस्ट्री पत्र श्री गुरवाच चन्द राजौरिया, डी.3, मोहन मार्ग, रामनगर विहार, न्यू सानांन रोड जयपुर-302019 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र जारी/संशोधन/2024/4025, दि.- 28.01.25

**प्रमाण संख्या 7 (देखिये नियम 21)**  
**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**  
राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सार्वजनिक सूचनाओं को मुद्रकमा नम्बर 04/2025 (नाम संशोधन तथा निवास स्थान)  
सूचित श्री राजकुमार रजिस्ट्री पत्र श्री गुरवाच चन्द राजौरिया, डी.3, मोहन मार्ग, रामनगर विहार, न्यू सानांन रोड जयपुर-302019 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र जारी/संशोधन/2024/4025, दि.- 28.01.25

**प्रमाण संख्या 7 (देखिये नियम 21)**  
**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**  
राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सार्वजनिक सूचनाओं को मुद्रकमा नम्बर 04/2025 (नाम संशोधन तथा निवास स्थान)  
सूचित श्री राजकुमार रजिस्ट्री पत्र श्री गुरवाच चन्द राजौरिया, डी.3, मोहन मार्ग, रामनगर विहार, न्यू सानांन रोड जयपुर-302019 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र जारी/संशोधन/2024/4025, दि.- 28.01.25

**प्रमाण संख्या 7 (देखिये नियम 21)**  
**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**  
राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सार्वजनिक सूचनाओं को मुद्रकमा नम्बर 04/2025 (नाम संशोधन तथा निवास स्थान)  
सूचित श्री राजकुमार रजिस्ट्री पत्र श्री गुरवाच चन्द राजौरिया, डी.3, मोहन मार्ग, रामनगर विहार, न्यू सानांन रोड जयपुर-302019 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र जारी/संशोधन/2024/4025, दि.- 28.01.25

**प्रमाण संख्या 7 (देखिये नियम 21)**  
**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**  
राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सार्वजनिक सूचनाओं को मुद्रकमा नम्बर 04/2025 (नाम संशोधन तथा निवास स्थान)  
सूचित श्री राजकुमार रजिस्ट्री पत्र श्री गुरवाच चन्द राजौरिया, डी.3, मोहन मार्ग, रामनगर विहार, न्यू सानांन रोड जयपुर-302019 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र जारी/संशोधन/2024/4025, दि.- 28.01.25

**प्रमाण संख्या 7 (देखिये नियम 21)**  
**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**  
राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सार्वजनिक सूचनाओं को मुद्रकमा नम्बर 04/2025 (नाम संशोधन तथा निवास स्थान)  
सूचित श्री राजकुमार रजिस्ट्री पत्र श्री गुरवाच चन्द राजौरिया, डी.3, मोहन मार्ग, रामनगर विहार, न्यू सानांन रोड जयपुर-302019 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र जारी/संशोधन/2024/4025, दि.- 28.01.25

**प्रमाण संख्या 7 (देखिये नियम 21)**  
**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**  
राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सार्वजनिक सूचनाओं को मुद्रकमा नम्बर 04/2025 (नाम संशोधन तथा निवास स्थान)  
सूचित श्री राजकुमार रजिस्ट्री पत्र श्री गुरवाच चन्द राजौरिया, डी.3, मोहन मार्ग, रामनगर विहार, न्यू सानांन रोड जयपुर-302019 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र जारी/संशोधन/2024/4025, दि.- 28.01.25

**प्रमाण संख्या 7 (देखिये नियम 21)**  
**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**  
राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सार्वजनिक सूचनाओं को मुद्रकमा नम्बर 04/2025 (नाम संशोधन तथा निवास स्थान)  
सूचित श्री राजकुमार रजिस्ट्री पत्र श्री गुरवाच चन्द राजौरिया, डी.3, मोहन मार्ग, रामनगर विहार, न्यू सानांन रोड जयपुर-302019 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र जारी/संशोधन/2024/4025, दि.- 28.01.25

कोटपुतली। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बुधवार को बानसर उपखण्ड का दौरा कर ग्राम पंचायत बाबरीय में एपी सटेक योजना के तहत आयोजित फार्मर रजिस्ट्री शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुये संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में संचालित योजनाओं का लाभ हर पात्र किसान तक पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाये। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिये अधिकारियों को शिविर की व्यवस्थायें और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिये।

उन्होंने उपस्थित कार्मिकों से रजिस्ट्री स्तर प्रक्रिया की जानकारी लेकर आगतक किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के तहत मिलने वाले 11 नंबर के यूनिट आईडी के लाभों की जानकारी सरल



जिला कलेक्टर ने फार्मर रजिस्ट्री शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा।

भाषा में देने को कहा। रजिस्ट्री शिविर के बारे में जानकारी पहुंचाने हेतु आवश्यक प्रचार माध्यमों का उपयोग करते हुये उन्हें जागरूक

करें। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थित किसानों से व्यक्तिगत वा अन्य माध्यमों से सम्पर्क करते हुये फार्मर आईडी बनवाने का कार्य करे। शिविर में आये किसानों को कृषि व पशुपालन विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी देने को कहा, जिससे कि सरकारी योजनाओं का लाभ अधिकारिक पात्रों तक पहुंचे किसानों को बताया फार्मर रजिस्ट्री का महत्त्व - जिला कलेक्टर ने शिविर में आये किसानों से संबद्ध कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना तथा योजनाओं का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने पर जोर दिया।

**नाम परिवर्तन**  
मैंने अपना नाम अलबीना (Albeena) से बदलकर अलबीना परवीन (Albeena Parveen) रख लिया है, भविष्य में मुझे अलबीना परवीन पत्नी मोहम्मद सलीम निवासी-726, कोयले वाली गली, मेहरो का रास्ता, रामांज बाजार, जयपुर के नाम से जाना जावे।

**प्रमाण संख्या 7 (देखिये नियम 21)**  
**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**  
राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सार्वजनिक सूचनाओं को मुद्रकमा नम्बर 04/2025 (नाम संशोधन तथा निवास स्थान)  
सूचित श्री राजकुमार रजिस्ट्री पत्र श्री कनकनया देवस्थान निवासी 303 अजी नगर, मुस्लीम विहार नगर, जयपुर 302025 को राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र जारी/संशोधन/2024/4025, दि.- 28.01.25

**प्रमाण संख्या 7 (देखिये नियम 21)**  
**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**  
राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सार्वजनिक सूचनाओं को मुद्रकमा नम्बर 04/2025 (नाम संशोधन तथा निवास स्थान)  
सूचित श्री राजकुमार रजिस्ट्री पत्र श्री कनकनया देवस्थान निवासी 303 अजी नगर, मुस्लीम विहार नगर, जयपुर 302025 को राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र जारी/संशोधन/2024/4025, दि.- 28.01.25

**प्रमाण संख्या 7 (देखिये नियम 21)**  
**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**  
राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सार्वजनिक सूचनाओं को मुद्रकमा नम्बर 04/2025 (नाम संशोधन तथा निवास स्थान)  
सूचित श्री राजकुमार रजिस्ट्री पत्र श्री कनकनया देवस्थान निवासी 303 अजी नगर, मुस्लीम विहार नगर, जयपुर 302025 को राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र जारी/संशोधन/2024/4025, दि.- 28.01.25

**प्रमाण संख्या 7 (देखिये नियम 21)**  
**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**  
राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सार्वजनिक सूचनाओं को मुद्रकमा नम्बर 04/2025 (नाम संशोधन तथा निवास स्थान)  
सूचित श्री राजकुमार रजिस्ट्री पत्र श्री कनकनया देवस्थान निवासी 303 अजी नगर, मुस्लीम विहार नगर, जयपुर 302025 को राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र जारी/संशोधन/2024/4025, दि.- 28.01.25

**प्रमाण संख्या 7 (देखिये नियम 21)**  
**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**  
राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सार्वजनिक सूचनाओं को मुद्रकमा नम्बर 04/2025 (नाम संशोधन तथा निवास स्थान)  
सूचित श्री राजकुमार रजिस्ट्री पत्र श्री कनकनया देवस्थान निवासी 303 अजी नगर, मुस्लीम विहार नगर, जयपुर 302025 को राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1)